Jansatta

RRB NTPC region wise result to be released soon

भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की नियुक्ति करवाने वाले संस्था रेलवे भर्ती बोर्ड ने कई पदों पर भर्ती के लिए एनटीपीसी परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा का आयोजन हुए कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं। परीक्षा के रिजल्ट को लेकर कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं और कई टेंटेटिव तारीख भी आ चुकी है, लेकिन नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि परीक्षा के रिजल्ट तीन-चार दिन में जारी होना शुरू हो जाएंगे।बताया जा रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट नवंबर में नहीं बल्कि दिसंबर के शुरू में जारी किए जाएंगे, पहले कहा जा रहा था कि नतीजे नवंबर से पहले जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर से परीक्षा के नतीजों में देरी हो गई है।

हाल ही में आरआरबी तिरुवनंतपुरम ने अपने रिजन के नतीजे जारी कर दिए थे, लेकिन उन्हें वापस ले लिए गए। आरआरबी का कहना था कि वो नतीजे सिर्फ टेस्ट के लिए ही जारी किए गए थे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कुछ वेबसाइट प्राइवेट सर्वर पर चल रही है और हम इन वेबसाइट्स को एनआईसी सर्वर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 17 तारीख को टेस्टिंग के लिए रिजल्ट जारी किए गए थे। हालांकि यह तो साफ है कि इस बार आरआरबी परीक्षा के रिजल्ट जोन के आधार पर जारी करेगा और यह नतीजे क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे। परीक्षार्थी अधिक होने की वजह से परीक्षा के रिजल्ट टुकड़ों में जारी किए जाएंगे और इस परीक्षा में करीब 4.8 फीसदी प्रतिभागी ही पास हो सकते हैं यानि ढ़ाई लाख के करीब लोगों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है।

बता दें कि आरआरबी ने 18252 एनटीपीसी पदों के लिए इसी साल मार्च, अप्रैल, मई में इस परीक्षा का आयोजन किया था। इस परीक्षा के लिए 93 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 56 लाख कैंडिडेट्स ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा को 74 शिफ्ट में आयोजित किया गया था। आरआरबी ने कई पदों के लिए आवेदन स्वीकार किए थे और इन पदों में कमर्शियल अप्रेंटिस(सीए), ट्रैफिक अप्रेंटिस (टीए), इंक्वायरी-कम-रिजर्वेशन क्लर्क(ईसीआरसी), गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट स्टेशन मास्टर (एएसएम), ट्रैफिक असिस्टेंट और सीनियर टाइम कीपर के पद शामिल हैं।आरटेटका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण सरकार ने भर्ती की सभी प्रक्रिया पर रोक लगा रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 20 अक्टूबर को मामले का निस्तारण कर दिया है। जिसके कारण सरकार ने अब भर्ती से संबंधित प्रक्रियाएं शुरू की है।